PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/214

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थनापत्र	145/2024	16/5/24	30/05/24	23/5/24

सोराम — अनवान — मन्नालाल

श्री सोराम पुत्र रसाल बंजारा — श्री मन्ना लाल पिता भौरसिंह जाति बंजारा

निवासी गोरधनपुरा त. बिजौलिया — निवासी गोरधनपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री धनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट — श्री ....

उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया (भीलवाड़ा)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

रूपाराम बनाम मन्नालाल

किस्म मुकदमा — .... नम्बर ..../2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/05/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
23/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 30/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
30/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए, एवं तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 145/2024 तारीख दायर 16/05/24

सोराम दतक पुत्र रसाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

मन्नालाल पुत्र मोरसिह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 30/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम लाल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 204 पर अंकित आराजी संख्या 607/1 कुल किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त मौजा ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 204 पर अंकित आराजी संख्या 607/1 कुल किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 145/2024 तारीख दायर 16/05/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 145/ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सोराम दतक पुत्र रसाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.........................प्रार्थी

बनाम

मन्नालाल पुत्र मोरसिह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.................विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 204 पर अंकित आराजी संख्या 607/1 कुल किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की** बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस नियमानुसार/– वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ